मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

विनोद कुमार बनाम ओमप्रकाश

ा बाबत :– 88 RT Act

कदमा नम्बर :– 43/2023

र्णय दिनांक :– 15-6-2023

वादी की ओर से वकील श्री विनोद पूनियां की व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की ओर से वकील श्री उम्मेद सिंह मोठसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-6-2023 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा झिलोदा के खाता सं० 124/125 के खसरा सं० 8 की 10.244 है० बारानी वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 3415/40976 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 2 सरस्वती उर्फ सुरस्वती तथा प्रतिवादी सं० 3 सुशीला उर्फ शीला का नाम कलमजन कर वादी विनोद कुमार व प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। चूंकि वादभूमि में प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष मे त्याग कर शून्य कर लिया है। राजीनामा को पर्चा डिक्री का भाग पढा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-6-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शिविर प्रभारी कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner